

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/ /2023:: लखनऊ::दिनांक:मई 09, 2023

--:आदेश:-

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3, वाराणसी के पत्रांक-187/2023 दिनांक 29.04.2023 पर सम्यक विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अर्न्तगत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4, वाराणसी से सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, वाराणसी को अधोअंकित द्वितीय अपील नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क्रम सं०	अपील सं०	फर्म/व्यापारी का नाम व पता	क०नि०वर्ष
1.	79/2021	सर्वश्री आनन्द कुमार विजय कुमार, बिल्ली, ओबरा, सोनभद्र	2008-09


ह०/09.05.2023

(अरविन्द मलिक)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

- पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/578/2023, दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, वाराणसी।
2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, वाराणसी।
3-असि० कमि०/रा०प्रति० पीठ-3 व 4 वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।
4-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।
✓5-वेब अधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा से,


निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।